कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462003)

Website: - www.klsgaci.edu.in
E - mail: - principal@klsgaci.nic.in

दूरभाष क्रं. – 0755 – 2970310

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक / 2023 / योजना /994 भोपाल, दिनांक 18/04/ 2023

वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (SRF) हेतु विज्ञापन

पं.खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद संस्थान, भोपाल (म0प्र0) में केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत SMART-परियोजना अन्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट मे रिसर्च कार्य हेतु योग्य अभ्यर्थियों से प्रोजेक्ट अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर निम्नांकित शर्तों के अनुरूप आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

क्रं. सं.	पद	संख्या	योग्यता विवरण	चयन आधार, दिनांक एवं समय	मानदेय राशि
1.	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (Senior Research Fellow) SMART परियोजना	01	**आवश्यक / Essential:** • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. उपाधि। **वांछनीय / Desirable** • वरीयता उन लोगों को दी जाएगी जो उच्च योग्यता रखते हैं या जिनके पास पिछला शोध अनुभव यथा आयुष मंत्रालय, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीएसटी या समकक्ष संगठन द्वारा वित्त पोषित किसी भी अनुसंधान परियोजना के लिए कार्य किया हो। • कम्प्यूटर अनुप्रयोग में ज्ञान, एम. एस. ऑफिस आदि। आयु सीमा : 35 वर्ष से अधिक नहीं।	लिखित परीक्षा / शार्टलिस्ट साक्षात्कार तिथि व समय पृथक से सूचित किया जावेगा।	रु. 35000 / – + 18% एच.आर.ए. प्रतिमाह (प्रोजेक्ट नियमानुसार)

नोटः–

1) आवेदन संबंधी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें, आवेदन प्रपत्र सहित संस्थान की वेबसाइट www.klsgaci.edu.in पर उपलब्ध है।
2) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि :– **08 / 05 / 2023**
3) अधिकतम आयु सीमा हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि ही आयु गणना का आधार होगी।
4) किसी भी प्रकार का संशोधन केवल संस्थान की वेबसाइट http://www.klsgaci.edu.in पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।
5) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं अनुबंध आधार पर होगी। भविष्य में इस नियुक्ति को नियमित अथवा स्थायी करने का दावा (अधिकार) मान्य नहीं होगा।
6) चयनित अभ्यर्थी पद छोड़ने से पहले 1 माह पूर्व संस्थान में नोटिस प्रस्तुत करेगा।
7) आवेदक को इंटरव्यू (Interview)/परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का टीए / डीए देय नहीं होगा।
8) संस्थान के प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्ति शर्तों में संशोधन / नियुक्ति विज्ञापन को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

-00-

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Senior Research Fellow (Ayurveda)
APPLICATION FORM

PHOTO

1. Full Name:-____

2. Father's Name:-____

3. Permanent Address:-____

4. Address for Correspondence / Present Address :-

____

____

5. Date of Birth:-________________ 6. Sex: Male: ☐ Female: ☐

9. Category: SC/ST/OBC/UR____

10. E-mail id:________________________________11. Mobile No. ____________________

12. Aadhar No./any identity card no.____

13. Educational Qualification:

Exam Passed	Board/University	Year of Passing	% of Marks/Div.

14. Experience:

Name of the Organization	Designation	Nature of Duty	Period		Duration in Month
			From	To	

Declaration:

I hereby declare that the information furnished by me as above is truly completed which is correct to the best of my knowledge and belief, I understand that in the event of my information being found false or incorrect at any stage, my candidature / appoint shall be liable to cancelled / terminated without any notice or without any compensation is lieu thereof.

Date:

Place: **(Signature of Applicant)**

Date:

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत SMART परियोजना अन्तर्गत "Treatment adherence, Tolerability and Safety of Ayurveda therapeutic regimen in the management of Rheumatoid Arthritis" प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु

वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता की सेवाओं के अनुबंध हेतु

//नियम एवं शर्तें//

1. प्रोजेक्ट दिशा निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता को प्रतिमाह रूपये 35,000+18% HRA/– (रू. पैंतीस हजार मात्र + 18 प्रतिशत एच.आर.ए.) निश्चित राशि (मानदेय) देय होगी।
2. प्रोजेक्ट अंतर्गत कार्य समाप्ति के पश्चात कार्यकाल स्वयमेव समाप्त हो जावेगा जिसकी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी।
3. चयनित अभ्यर्थी को नियम एवं शर्तों के अनुरूप कार्य करना होगा एवं किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त होने से पूर्व संस्थान की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
4. अनुबंधित व्यक्ति को संस्थान के पूर्व अनुमति के बिना सपादित किये गये कार्यों की जानकारी तृतीय पक्ष को हस्तान्तरित, प्रकाशित एवं उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। कार्य प्रारंभ करते समय इस आशय का वचन पत्र 100 रू. के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
5. संबंधित के त्याग पत्र देने की स्थिति में अथवा परियोजना के समाप्त होने के पश्चात सभी दस्तावेजों एवं संस्थान द्वारा उपलब्ध सामग्री को संस्थान में जमा कराना अनिवार्य होगा।
6. यह सेवाएं सम्बन्धित प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध मात्र है। अतः भविष्य में नियमितिकरण से संबंधित कोई भी दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा।
7. संबंधित व्यक्ति किसी भी हैसियत से संस्थान स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे ओर वह लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
8. अनुबंधित उम्मीदवार को अनुबन्ध के पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।
9. वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता हेतु सामान्यतः कार्यालयीन समय प्रातः 09 से सायं 05 बजे तक होगा तथापि प्रोजेक्ट कार्यानुसार, प्रोजेक्ट प्रिंसिपल इन्वेस्टीगेटर के निर्देशानुसार कार्य करना अनिवार्य होगा।
10. परियोजना प्रभारी के माध्यम से उपस्थिति सत्यापित होने के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह में किया जायेगा।
11. सामान्यतः शासकीय अवकाश के दिवस एवं एक कैलेण्डर वर्ष में कुल 13 आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
12. अनुबंधित व्यक्ति किसी भी स्थिति में किसी गैरकानूनी अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
13. अनुबंधित व्यक्ति का कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

-00-